अन्तरराष्ट्रीय विकास संगम (प्रास्थिति, उन्मुक्ति तथा विशेषाधिकार) अधिनियम, 1960[1]

(1960 का अधिनियम संख्यांक 32)

[9 सितम्बर, 1960]

अन्तरराष्ट्रीय विकास संगम की स्थापना और उसके कार्य करने के लिए हुए अन्तरराष्ट्रीय करार को, जहां तक उसका संबंध उस संगम की प्रास्थिति, उन्मुक्तियों तथा विशेषाधिकारों से है, कार्यान्वित करने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के ग्यारहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अन्तरराष्ट्रीय विकास संगम (प्रास्थिति, उन्मुक्ति तथा विशेषाधिकार) अधिनियम, 1960 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख[2] को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "करार" से अन्तरराष्ट्रीय विकास संगम के नाम से ज्ञात अन्तरराष्ट्रीय निकाय की स्थापना तथा उसके कार्य करने के लिए हुआ करार अभिप्रेत है;

(ख) "संगम" से उस करार के अधीन स्थापित अन्तरराष्ट्रीय विकास संगम अभिप्रेत है ।

3. संगम को प्रास्थिति और कतिपय उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों का प्रदान किया जाना तथा उसके अधिकारियों और कर्मचारियों को कतिपय उन्मुक्तियों तथा विशेषाधिकारों का प्रदान किया जाना—(1) किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, करार के अनुच्छेद 8 के वे उपबन्ध, जो अनुसूची में उपवर्णित हैं, भारत में विधि का बल रखेंगे :

परन्तु उसकी धारा 9 की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह—

(क) सीमाशुल्क से मुक्त माल का भारत में आयात करने का हक, वहां उसके पश्चात्वर्ती विक्रय पर किसी निर्बन्धन के बिना, संगम को देती है; या

(ख) संगम को उन शुल्कों या करों से कोई छूट प्रदान करती हैं, जो बेचे गए माल की कीमत के भाग हैं; या

(ग) संगम को उन शुल्कों या करों से छूट प्रदान करती है जो की गई सेवाओं के प्रभारों के सिवाय वास्तव में कुछ नहीं है ।

(2) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर अनुसूची का संशोधन किन्हीं ऐसे संशोधनों के अनुरूपत: कर सकेगी जो करार के उन उपबन्धों में, जो अनुसूची में उपवर्णित हैं, सम्यक् रूप में किए और अंगीकृत किए जाएं ।

4. नियम बनाने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार इस अधिनिम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

5. धारा 3 के अधीन अधिसूचना तथा धारा 4 के अधीन नियम संसद् के समक्ष रखे जाएंगे—धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निकाली गई प्रत्येक अधिसूचना तथा धारा 4 के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके निकाले या बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । [3][यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व] दोनों सदन, यथास्थिति, उस अधिसूचना या उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह अधिसूचना नहीं निकाली जानी या नियम नहीं

---

[1] 1968 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तारित ।

[2] 15 अक्तूबर, 1960; देखिए अधिसूचना सं० का०आ० 2474क, तारीख 11-10-1960, भारत का राजपत्र, 1960, असाधारण, भाग 2, खंड 3(ii), पृ० 580क ।

[3] 1983 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-3-1984 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगी/जाएगा, किन्तु अधिसूचना या नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

करार के वे उपबन्ध जो विधि का बल रखेंगे

अनुच्छेद 8

प्रास्थिति, उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार

धारा 1—अनुच्छेद के प्रयोजन

संगम को ऐसे कृत्यों को, जो उसे सौंपे गए हैं, पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए इस अनुच्छेद में प्रास्थिति, उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार प्रत्येक सदस्य के राज्यक्षेत्र में दिए जाएंगे ।

धारा 2—संगम की प्रास्थिति

संगम को पूर्ण विधिक व्यक्तित्व और विशिष्टत:—

(i) संविदा करने;

(ii) स्थावर तथा जंगम सम्पत्ति का अर्जन तथा व्ययन करने;

(iii) विधिक कार्यवाही संस्थित करने,

की सामर्थ्य होगी ।

धारा—3 न्यायिक आदेशिकाओं के बारे में संगम की स्थिति

संगम के विरुद्ध कार्रवाई ऐसे सदस्य ही के राज्यक्षेत्र में सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में लाई जा सकेगी, जिसमें संगम का कार्यालय है, जिसमें संगम ने आदेशिका की तामील या सूचना के प्रतिग्रहणार्थ कोई अभिकर्ता नियुक्त किया है या जिसमें संगम ने प्रतिभूतियां पुरोधृत या प्रत्याभूत की हैं । किन्तु सदस्यों या ऐसे व्यक्तियों द्वारा कार्रवाई नहीं की जा सकेगी जो सदस्यों के लिए कार्य कर रहे हैं या जिन्हें किसी सदस्य से दावा व्युत्पन्न हुआ है । संगम की सम्पत्ति तथा आस्तियां, जो कहीं भी स्थित हों तथा किसी के भी द्वारा धारण की गई हों, संगम के विरुद्ध अंतिम निर्णय दिए जाने के पूर्व सब प्रकार के अभिग्रहण, कुर्की या निष्पादन से उन्मुक्त रहेंगी ।

धारा 4—अभिग्रहण से आस्तियों की उन्मुक्ति

संगम की सम्पत्ति और आस्तियां जो कहीं भी स्थित हैं और किसी के भी द्वारा धारण की गई हैं, कार्यपालक या विधायी कार्रवाई द्वारा की जाने वाली तलाशी, अधिग्रहण, अधिहरण, स्वत्वहरण या किसी अन्य प्रकार के अभिग्रहण से उन्मुक्त रहेंगी ।

धारा 5—अभिलेखागारों की उन्मुक्ति

संगम के अभिलेखागार अनतिक्रमणीय होंगे ।

धारा 6—आस्तियों की निर्बन्धनों से मुक्ति

इस करार के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संगम की सब संपत्ति और आस्तियां किसी भी प्रकृति के निर्बन्धनों, विनियमनों, नियंत्रणों और अधिस्थगनों से उस सीमा तक मुक्त रहेंगी, जहां तक इस करार में उपबंधित कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए यह आवश्यक हो ।

धारा 7—संसूचनाओं के लिए विशेषाधिकार

संगम की शासकीय संसूचनाओं के प्रति प्रत्येक सदस्य वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा वह अन्य सदस्यों की शासकीय संसूचनाओं के प्रति करता है ।

धारा 8— अधिकारियों तथा कर्मचारियों की उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार

संगम के सभी गवर्नरों, कार्यपालक निदेशकों, अनुकल्पियों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को,—

(i) जब तक संगम उन्मुक्ति का अधित्यजन न कर दे, तब तक अपने द्वारा पदीय हैसियत से किए गए कार्यों की बाबत विधिक प्रक्रिया से उन्मुक्ति होगी;

(ii) जो स्थानीय राष्ट्रिक नहीं हैं, आप्रवास संबंधी निर्बन्धनों, अन्य देशीयों के रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षाओं और राष्ट्रीय सेवा की बाध्यताओं से वे ही उन्मुक्तियां और विनिमय-निर्बन्धनों के संबंध में वे ही सुविधाएं दी जाएंगी जो कि सदस्यों द्वारा अन्य सदस्यों के तुल्य पंक्ति के प्रतिनिधियों, पदधारियों तथा कर्मचारियों की दी जाती हैं;

(iii) वे ही यात्रा-सुविधाएं दी जाएंगी जो सदस्यों द्वारा अन्य सदस्यों के तुल्य पंक्ति के प्रतिनिधियों, पदधारियों तथा कर्मचारियों को दी जाती हैं ।

धारा 9—कराधान से उन्मुक्तियां

(क) संगम, उसकी आस्तियां, सम्पत्ति, आय तथा इस करार द्वारा प्राधिकृत उसके संव्यवहार सभी कराधान से तथा सभी सीमाशुल्कों से उन्मुक्त होंगे । संगम किसी भी कर या शुल्क के संग्रहण या संदाय के दायित्व से भी उन्मुक्त होगा ।

(ख) संगम के कार्यपालक निदेशकों, अनुकल्पियों, पदधारियों या कर्मचारियों से, जो स्थानीय नागरिक, स्थानीय प्रजाजन या अन्य स्थानीय राष्ट्रिक नहीं हैं, संगम द्वारा दिए गए वेतन तथा परिलब्धियों पर या उनकी बाबत कोई भी कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा ।

(ग) संगम द्वारा पुरोधृत किसी बाध्यता या प्रतिभूति पर (जिसके अंतर्गत उस पर लाभांश या ब्याज भी है) चाहे वह बाध्यता या प्रतिभूति किसी के भी द्वारा धारण की गई हो, किसी प्रकार का कोई भी कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा,—

(i) जो ऐसी बाध्यता या प्रतिभूति के विरुद्ध केवल इस कारण विभेद करता है कि वह संगम द्वारा पुरोधृत की गई है; या

(ii) यदि ऐसे कराधान के लिए अधिकारिता-विषयक एकमात्र आधार वह स्थान या करेन्सी है जिसमें वह पुरोधृत या संदेय है या संदत्त किया गया है, या संगम द्वारा रखे गए कार्यालय या कारबार के स्थान की अवस्थिति है ।

(घ) संगम द्वारा प्रत्याभूत किसी बाध्यता या प्रतिभूति पर (जिसके अन्तर्गत उस पर का लाभांस या ब्याज भी है) चाहे वह बाध्यता या प्रतिभूति किसी के भी द्वारा धारण की गई हो, किसी प्रकार का कोई भी कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा :—

(i) जो ऐसी बाध्यता या प्रतिभूति के विरुद्ध केवल इस कारण विभेद करता है वह संगम द्वारा प्रत्याभूत की गई है; या

(ii) यदि ऐसे कराधान के लिए अधिकारिता-विषयक एकमात्र आधार संगम द्वारा रखे गए कार्यालय या कारबार के स्थान की अवस्थिति है ।

———